न्यायालय अपर सिविल जज, (जू0डि0)/जे0एम0, तिलहर, शाहजहांपुर।
मूलवाद सं0–13/2017
जेवलाल बनाम जावित्री देवी आदि।

दिनांकः–07.04.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित, परन्तु प्रतिवादी द्वारा पूर्व में आपत्ति प्रार्थनापत्र 29ग दाखिल किया गया है। वादी को प्रार्थनापत्र 25ग मय शपथपत्र 25ग/2 पर सुना गया।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 25ग मय शपथपत्र 25ग/2 प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया है कि उक्त वाद में वादी है तथा उपरोक्त वाद वास्ते स्थायी निशेधाज्ञा न्यायालय में विचाराचीन है। वादी के मकान के नल का पानी विवादित आराजी नक्शा–नजरी में च, छ, ज, झ से दर्शायी गयी हैं, में जमीन के अन्दर पड़े पाइप से मकान का पानी व प्रतिदिन प्रयोग होने वाला पानी निकलता था। वाद प्रारम्भ होने के पश्चात् अब से लगभग 05 दिन पूर्व प्रतिवादीगण ने प्रार्थी के मकान के पानी के पाइप को बंद कर दिया है, जिससे घर प्रयोग होने वाला पानी मकान के अन्दर भरा हुआ है। जब प्रार्थी नाली खोलने का प्रयास करता है तो उक्त प्रतिवादीगण झगड़ा करने पर अमादा हो जाते हैं। न्यायहित में प्रार्थी के मकान का पानी पूर्व की भांति निकाला जाना आवश्यक है। पानी न निकलने से प्रार्थी का मकान ध्वस्त हो जावेगा। अतः प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाये कि वह प्रार्थी के मकान के नल के पानी को पूर्व की भांति पूर्व में बनी नाली से निकलने दें।

प्रतिवादिनी की ओर से आपत्ति प्रार्थनापत्र 29ग दाखिल कर कथन किया गया है कि वादी द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र 25ग विधि एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत है। वादी के पानी का निकास बन्द नहीं किया गया है और न ही मकान में कोई हस्तक्षेप किया गया है। वादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे जो अनुतोष चाहा गया है वह आज्ञापक निषेधाज्ञा का है। वादी के प्रार्थनापत्र के आधार पर कोई अनुतोष बिना वादपत्र में संशोधन किये न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 25ग मय शपथपत्र 25ग/2 इस आशय से दाखिल किया गया है कि प्रतिवादीगण को वादी के मकान से पानी पूर्व की भांति निकलने हेतु आदेशित किया जाये। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा जो प्रार्थनापत्र दिया गया है, उसमें आज्ञापक निषेधाज्ञा के रूप में अनुतोष चाहा गया है, जो कि केवल विधिक रूप से आदेश 39 नियम 1 के तहत ही पोषणीय है तथा पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित हुआ है कि पत्रावली पर आदेश दिनांकित 26.09.2018 के तहत न्यायालय द्वारा विवादित आराजी का कमीशन कराने हेतु आदेशित किया गया था, जिस संबंध में कमीशन आख्या अभी तक पत्रावली पर दाखिल नहीं की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में जब तक जरिये कमीशन मौके की वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं आ जाती, तब तक वादी का प्रार्थनापत्र 25ग स्वीकार करना न तो उचित और न ही विधि संगत होगा।

अतः ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थनापत्र 25ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का प्रार्थनापत्र 25ग निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही 11.05.2021 को पेश हो।

अपर सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0
तिलहर, शाहजहांपुर।